इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 458]   भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 सितम्बर 2014—आश्विन 5, शक 1936

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2014

क्र. एफ 44-22-2013-बीस-2.—यत: मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन गठित स्थानीय प्राधिकरणों (स्थानीय निकायों), अर्थात् जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शासकीय स्कूलों का प्रबंध सौंपा गया है. इसी प्रकार मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) के अधीन गठित स्थानीय प्राधिकरणों (स्थानीय निकायों), अर्थात् नगरपालिक निगमों, नगरपालिकाओं तथा नगर परिषदों को नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय स्कूलों का प्रबंध सौंपा गया है.

और यत: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 35 की उपधारा (2) सहपठित नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियमों में यथा परिभाषित स्थानीय प्राधिकरण (स्थानीय निकाय), अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे.

No. F 44-22-2013-XX-2.—Whereas, the management of the Government schools located in rural areas has been entrusted to local authorities (local bodies) that is, the Zila Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994). Similarly, the management of the Government schools located in urban areas has been entrusted to local authorities (local bodies) that is, the Municipal Corporation, the Municipality, Nagar Parishad, constituted under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Madhya Pradesh Municipalilties Act, 1961 (No. 37 of 1961).

And, Whereas, cetrain duties and responsibilities have been entrusted to the local authorities under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 35 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, the State Government, hereby, directs that the local authorities (local bodies) as defined in the said Acts shall perform the duties assigned to them by the State Government, from time to time for implementing the provisions of the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एल. सोलंकी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.